

उच्चतर सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति जातियों तथा अनुमति जनजातियों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण

* 425. श्री राम लाल राहीः क्या गृह मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मुनिष्चित करने के लिए कि अनुमति जातियों तथा अनुमति जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा भरा जाये, सरकार का विचार इन जातियों के व्यक्तियों को उच्चतर मरकारी सेवाओं के लिए नी जाने वाली परीक्षाओं में बैठने में पूर्व उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही की जायगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण मिह) (क) और (ख) : अनुमति जातियों तथा अनुमति जनजातियों के प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से, जो केन्द्रीय गज्य सेवाओं के पदों की भर्ती के लिए की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, 22 पूर्वपरीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र देश के विभिन्न भागों में पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं। ऐसे और अधिक केन्द्र खास गज्य शेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

58 वर्ष की आयु के पश्चात् सरकारी सेवा में नियुक्ति

3797. श्री नवाब सिंह चौहान : श्री गृह मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभागों तथा उन श्रेणियों के नाम क्या हैं जिनमें 58 वर्ष की आयु के

पश्चात् भी भारत सरकार की सेवा में बने रहने का अधिकार उपलब्ध है ;

(ख) क्या आकाशवाणी में प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर आदि जैसे पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिये 58 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में बने रहना वैध है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने किनिष्य श्रेमिकों को यह विशेषाधिकार किस कानून के अधीन प्रदान किया है ;

(घ) या सरकार का विचार मध्य सरकारी कर्मचारियों के सेवा-गतों में ममानता लाने के लिये कोई विधान बनाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का व्यांग क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : श्री एम० डी० पाटिल : (क) मूल नियमों के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन को सेवानिवृत्त होगा, जिसमें वह 58 वर्ष की आयु का हो जाता है। इन नियमों में किसी कामगार (उर्ध्वकृत नियमों में यथागतिभावित), ऐसे नियमिक वर्गीय सरकारी कर्मचारी, जिनमें 31 मार्च, 1938 की अवधारा उससे पहले सेवा में प्रवेश किया था, तथा ममृद 'ध' सेवा अवधारा पद में किसी कर्मचारी, जिसके लिए भेजानिवृत्ति को आयु 60 वर्ष है, तो मामले में इन नियमों में उपवाद रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष तथा परमाण ऊर्जा विभागों जैसे कुछ विभागों में, जिन में मुख्यतः वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है, कर्मचारियों की भेजानिवृत्ति की सामान्य आयु 60 वर्ष है।

(ख) और (ग) : आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों को लम्बी अवधि की संविदा के